न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या : 66/2024/अपील/एलआरएक्ट/कोर्ट कैंप बारां
दायरा दिनांक : 16.08.2024
अन्तर्गत धारा : 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

महेश आत्मज कोमल जाति काछी निवासी बीमलपुर, तहसील शाहबाद, जिला बारां

....अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज०)

.....रस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री आलोक गोयल अभिभाषक –अपीलांट
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 28.03.2025

अपीलांट ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 07/2024 बउनवान महेश बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 30.05.2024 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार, शाहबाद द्वारा प्रकरण संख्या 3/2023 धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अपीलार्थी को सम्वत 2079 में ग्राम बीलमपुर की आराजी खसरा सं0 99 रकबा 2.00 बीघा किस्म चारागाह पर अतिक्रमण कर फसल सरसों काश्त किये जाने पर अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए निर्णय दिनांक 25.01.2023 से 30/– रूपये तावान राशि से दण्डित कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल कर एक माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहबाद के यहां अपीलांट द्वारा अपील पेश करने पर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिचारी सिद्ध करने बाबत् पर्याप्त साक्ष्य होने से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहबाद का निर्णय दिनांक 25.01.2023 को यथावत रखते हुए निर्णय दिनांक 30.05.2024 से अपील खारिज की गई।

2 उक्त दोनों निर्णय अधीनस्थ न्यायालय से व्यथित होकर अपीलांट ने द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया। अपीलांट को जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नही दिया गया। जबकि अपीलांट का किसी भी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं है और न हीं उक्त प्रकरण में अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस विधिवत तामील करवाया गया, केवल मात्र पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर सजायाब कर दिया गया। अपीलांट द्वारा जुर्माना राशि भी जमा करवा दी गयी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त फरमाया

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नही दिया गया। जबकि अपीलांट का किसी भी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं है और न हीं उक्त प्रकरण में अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस विधिवत तामील करवाया गया, केवल मात्र पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर सजायाब कर दिया गया। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5 रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों निर्णय उचित होना प्रकट किया गया।

6 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय तहसीलदार, शाहबाद द्वारा प्रकरण संख्या 3/2023 धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अपीलार्थी को सम्वत 2079 में ग्राम बीलमपुर की आराजी खसरा सं0 99 रकबा 2.00 बीघा किस्म चारागाह पर अतिक्रमण कर फसल सरसों काश्त किये जाने पर अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए निर्णय दिनांक 25.01.2023 से 30/– रूपये तावान राशि से दण्डित कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल कर एक माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहबाद के यहां अपीलांट द्वारा अपील पेश करने पर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिचारी सिद्ध करने बाबत् पर्याप्त साक्ष्य होने से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहबाद का निर्णय दिनांक 25.01.2023 को यथावत रखते हुए निर्णय दिनांक 30.05.2024 से अपील खारिज की गई। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं कर अपीलार्थी की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

प्रकरण में अपीलांट के तर्क के संबंध में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि अपीलार्थी को न्यायालय तहसीलदार शाहबाद द्वारा प्रश्नगत आराजी पर अतिक्रमण किये जाने पर धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत दिनांक 23.01.2023 को नोटिस जारी किया गया। साथ ही मुताबिक पटवारी रिपोर्ट यह अंकित किया गया है कि अपीलांर्थी द्वारा पूर्व में सम्वत 2075–76 में अतिक्रमण किये जाने पर न्यायालय नायब तहसीलदार के प्रकरण सं 895 निर्णय दिनांक 27.12.2018 से बेदखल किये जाने की कार्यवाही की गई थी। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2079 में ग्राम बीलमपुर की आराजी खसरा सं0 99 रकबा 2.00 बीघा किस्म चारागाह पर अतिक्रमण कर फसल सरसों काश्त किये जाने पर अपीलार्थी को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए निर्णय दिनांक 25.01.2023 से 30/– रूपये तावान राशि से दण्डित कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल कर एक माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया गया। प्रकरण में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.01.2023 के विरूद्ध सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना प्रकट होता है। इस प्रकार अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित होने से ही अधीनस्थ न्यायालय द्वार निर्णय दिनांक 30.05.2024 से अपीलांट की अपील खारिज की गई हैं। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहबाद के प्र0 सं0 07/2024 बउनवान महेश बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 30.05.2024 में किसी प्रकार का विधिक दोष नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहबाद का निर्णय दिनांक 30.05.2024 यथावत रखा जाता है।

7 निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा